प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक 17.12.2024

- **महिला सम्बन्धी अपराधों पर अंकुश लगाने हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही।**
- **नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले 01 नफर अभियुक्त को थाना शिवली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **थाना शिवली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2024 धारा 64(2)k/333 बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट में वांछित था अभियुक्त।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उप महानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में व पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 07.12.2024 को वादी श्री बालकिशन पुत्र स्व0 मुल्ला निवासी हरिकिशनपुर थाना शिवली जनपद कानपुर देहात द्वारा थाना शिवली पर दी गयी तहरीर के आधार पर पंजीकृत मु0अ0सं0 368/2024 धारा 64(2)k/333 बीएनएस, 3/4 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(5) एससीएसटी एक्ट बनाम अभियुक्त आनन्द कुमार कश्यप पुत्र मेवालाल कश्यप निवासी ग्राम ककरमऊ थाना शिवली जनपद कानपुर देहात पंजीकृत किया गया था। थाना शिवली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित चल रहे अभियुक्त आनन्द कुमार कश्यप पुत्र मेवालाल कश्यप निवासी ग्राम ककरमऊ थाना शिवली जनपद कानपुर देहात को आज दिनांक 17.12.2024 को मुखबिर की सूचना पर अलियापुर रेलवे क्रासिंग के पास से समय 07.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण –

आनन्द कुमार कश्यप पुत्र मेवालाल कश्यप निवासी ग्राम ककरमऊ थाना शिवली जनपद कानपुर देहात उम्र 28 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली थाना शिवली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री गुरेन्द्र प्रताप सिंह
2. हे0का0 443 सतीशचन्द्र